न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी– नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 ———— 09/2019
प्रविष्टि दिनांक ———— 11.01.2019
निर्णय दिनांक ———— 23.02.2021

उनवान

रामनिवास पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गोहरपुरा तह0 व जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

सीमा खैतान, तहसीलदार, टोंक

–अप्रार्थीया

उपस्थित– श्री शिवराज टाण्डी –वकील प्रार्थी
श्री अर्जुनलाल मीणा –पैराकार सरकार

निर्णय

(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सीपीसी)

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अभिभाषक प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार न्यायालय हाजा के समक्ष वाद उनपवानी ग्यारसी देवी बनाम तहसीलदार आदि बाबत दुरूस्ती शीट प्रस्तुत हुआ था इस वाद को न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.06.2018 के द्वारा उक्त वाद को डिक्री करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि ग्राम गोहरपुरा के खसरा नम्बर 339/2 की नक्शाशीट में तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे के अनुसार 12 10 बिस्वा की जाये, तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 339/3 का रकबा भी खसरा नम्बर 339/1 में शामिल होने के कारण उक्त प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे के साथ संलग्न नक्शाट्रेस के अनुसार तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार टोंक उक्तानुसार निर्णय की पालना हेतु निर्देशित किया जाये। उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार तहसीलदार जी द्वारा शीट में बावजूद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी तरमीम नहीं करने के कारण यह आदेवन निम्न में से कुछेक कारणों से प्रस्तुत है। उक्त प्रकरण का न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा होने व उनका उक्त विवादित आराजी पर मौके पर कब्जे के अनुसार शीट में दुरूस्ती करने के संबंध में पक्षकारान की सहमति बनने पर ही न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था। पटवारी, गिरदावर द्वारा पक्षकारान का उक्त भूमि पर मौके पर कब्जे के अनुसार करके खम्भे व तारबन्दी एंव जेसीबी से मेडबन्दी करवा दी गई थी, तहसीलदारजी द्वारा विवादित भूमि की तरमीमी शीट तैयार की गई तथा जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा मोके पर नाम चोप कर नजरी नक्शा बनाया गया था उन दोनों को मिलान करने पर काफी भिन्नता है तथा नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 339/5 का उल्लेख नहीं हो रखा था उसके बावजूद भी तरमीमी शीअ में उक्त खसरा नम्बर का उल्लेख कर दिया गया। मोके पर बनाये गये नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 339/2 की उत्तर दक्षिण चौडाई 38 गटठा थी जिसे तरमीमी शीट में उत्तर दक्षिण चौडाई 46 गटठे कर दी गई खसरा नम्बर 339/1 की चौडाई नजरी नक्शे के अनुसार 22 गटठे थी जिसे तरमीमी शीट में 14 गटठे कर दी गई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 की खुले रूप से अवज्ञा, अवहेलना व अवमानना करने के अपराध में विपक्षीगण की समस्त चल अचल सम्पत्ति कुर्क व निलाम करवाया जाकर उनको तीन–तीन माह के लिए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाये।

अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए प्रार्थी ने नकल आदेश दिनांक 29.06.2018, नक्शाट्रेस, प्रा0पत्र दि. 06.11.2018 आदि की प्रतियां पेश की गयी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थी में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्तियों में निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय व डिक्री जारी की गयी थी, जिसकी पालना हेतु निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित तहसील कार्यालय में भिजवायी गयी थी तथा तहसील कार्यालय द्वारा मुताबिक निर्णय पालना के लिये संबंधित भू.अ.नि. व पटवारी हल्का को जरिये पत्र कमांक 5019 दिनांक 24.07.2018 को भिजवायी गयी थी। जिसकी पालना पटवारी व गिरदावर द्वारा की जाकर पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय में भिजवा दी गयी है नामांतकरण संख्या–851 दिनांक 09.08.2018 की छांयाप्रति संलग्न है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र न्यायालय को गुमराह करने के एंव प्रतिपक्षी को हैरान व परेशान करने की नियत रोकिया गया है। जबकि न्यायालय के निर्णय की अवमानना व कानून के उल्लंघन करने के कारण तथा सिवायचक भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण उसे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे। उसके द्वारा प्रा0पत्र खारिज फरमावें।

अपने जवाब में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए नामांतकरण संख्या–851 एंव नक्शाट्रेट आदि की छायांप्रतियां पेश की गयी। तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट कमांक 7729 दिनांक 25.09.2019 मय रिपोर्ट भू.अ.नि. सोनवा पेश हुयी जो शामिल पत्रावली की गयी।

प्रार्थी ने अपने पक्ष में स्वंय का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याालय हाजा के आदेश दिनांक 26.09.2018 की तत्कालीन तहसीलदार टोंक द्वारा अवहेलना करने से संबंधित है। जिसकी जांच वर्तमान तहसीलदार से करवाई गयी। तहसीलदार टोंक ने उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 05.09.2019 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार मुताबिक निर्णय डिक्री में अंकित खसरा नम्बरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही है लेकिन डिक्री में संलग्न राजीनामें में नक्शे के अनुसार पालना में भिन्नता है। संलग्न नजरी नक्शे में 339/5 को दर्शाया गया है वह जमाबन्दी में अंकित रकबे से कम दर्शाया गया है डिक्री की पालना से पूर्व ही उक्त ख0नं0 339/5 की तरमीम की हुई है इस कारण नजरी नक्शा व असल तरमीम में अंतर आया है तथा जिस रकबे को लेकर कन्टेम का वाद दायर किया गया है वह भूमी सिवायचक है। इस कारण वादी का हक प्रभावित नही होता है। तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे के अनुसार की गई है। इस प्रकार प्रार्थी ये सिद्ध करने में असफल रहा है कि प्रतिपक्षी द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना की गयी है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता भारहीन एंव सारहीन हो गया है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम–2(ए) सिविल प्रकिया संहिता भारहीन एंव सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक